भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2883

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में नीतिगत सुधार

2883. श्री आलोक शर्मा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को मजबूत करने और भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरंभ किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कोयला आवंटन, संभार तंत्र, कोयला निकासी अवसंरचना में सुधार के माध्यम से और विद्युत क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित कर निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रौद्योगिकीय नवाचार, सतत खनन और मूल्य वर्धित उत्पादों के माध्यम से कोयला उपयोग में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की गई हैं; और

(घ) आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों के अनुरूप कोयला क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का रोडमैप क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित सुधार किए गए हैं-

(i) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2025

(ii) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2026

(iii) कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2026

(iv) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों को जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

(v) देश में भूमिगत खनन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों सहित कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी की पद्धति निर्धारित की गई है।

(vi) डीप-सीटेड और गैर-खनन योग्य कोयला भंडारों का दोहन करने के लिए वाणिज्यिक नीलामी ढांचे में भूमिगत कोयला गैसीकरण के प्रावधान शुरू किए गए थे।

(vii) 44 निजी कंपनियों को प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(viii) भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों के लिए अनुमोदन कार्यतंत्र को सरल बनाया गया।

(ix) कोयला नियंत्रक संगठन से खान खोलने की अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए कोयला खान नियंत्रण नियमों में संशोधन किया गया था।

(x) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक खनिज के रूप में शामिल किया गया है, जिससे कोकिंग कोयला परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृतियाँ प्रदान करने में तेजी आई है।

(xi) 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सतही कोयले और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को स्वीकृति दी गई।

(xii) कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) के माध्यम से 24x7 निगरानी संस्थापित की है।

(xiii) कोयला आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए कोयला-शक्ति स्मार्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड तैयार किया गया है।

(xiv) कोलसेतु विंडो: दिनांक 15.02.2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति के तहत "कोलसेतु विंडो" नामक एक नई विंडो के निर्माण द्वारा निर्बाध, दक्ष और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी संबंधी नीति को सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2025 को जारी किया गया था।

(ख): विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी कोयला कंपनियों, विद्युत कंपनियों और विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल

इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों वाले एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा निरंतर रूप से की जाती है जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठक करते हैं। उप-समूह समिति की बैठकों में विद्युत संयंत्रों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। आवश्यकता और कोयला भंडार की स्थिति के आधार पर, उप-समूह द्वारा रेकों के आवंटन की सिफारिश की जाती है।

इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है।

मशीनीकृत कोयला परिवहन क्षमता को संचयी 589 एमटीपीए तक बढ़ाया गया, जिससे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) उपयोग में सुधार हुआ।

कोयला कंपनियों ने कोयला क्षेत्रों में कोयले की निकासी के लिए जमा/संयुक्त उद्यम आधार पर 8 रेलवे परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से 5 परियोजनाएं कमिशन हो चुकी हैं।

इसके अलावा, भविष्य में कोयले की निकासी के लिए 33 महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों की पहचान की गई थी और रेल मंत्रालय द्वारा उन पर काम शुरू कर दिया गया है।

रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करने के लिए रेल-समुद्र-रेल मार्ग को वैकल्पिक कोयला निकासी मार्ग के रूप में बढ़ावा दिया गया है और वर्तमान में इसे 62 मि.ट. तक बढ़ाया गया है।

(ग): सरकार घरेलू कोयला संसाधनों के स्वच्छ और अधिक दक्ष उपयोग के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण के साथ प्रौद्योगिकीय नवाचार और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से कोयले के उपयोग में विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है।

(घ): आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार का रोडमैप घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने, संभार तंत्र का आधुनिकीकरण करने, कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और खनन क्षेत्रों के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने पर आधारित है। घरेलू कोयला उत्पादन वर्ष 2021-22 में 778 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में लगभग 1,041 मिलियन टन हो गया है। इसी अवधि के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खानों से उत्पादन 85 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 214 मिलियन टन हो गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन और 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण करने की परिकल्पना की है।
